## न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमान् श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
**राजस्व वाद संख्या : 139/2022**
**GCMS NO. : 2022/235**

-: वादीगण :-

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
2. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल फौत के कायम मुकाम
   2/1. द्वारकाप्रसाद पुत्र मोहनलाल
   2/2. निरंजन कुमार पुत्र मोहनलाल
   2/3. नन्दुदेवी पुत्री मोहनलाल
   2/4. तारादेवी पुत्री मोहनलाल
   2/5. ऊषादेवी पुत्री मोहनलाल
   2/6. जसोदा पुत्री मोहनलाल
3. चतुर्भुज पुत्र भंवरलाल
   सभी जातियान- ब्राह्मण, निवासीगण- तालकिया, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर(राज.)।

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल जाति- ब्राह्मण, निवासी- तालकिया, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर।
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

दावा बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.20/07/2022

उपस्थित:-

1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनाँकः- 19/02/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा तालकिया, पटवार हल्का पिपलियाखुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 11 रकबा 5-06 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 358 रकबा 03-04 बीघा, खसरा नम्बर 367 रकबा 00-15 बीघा, खसरा नम्बर 368 रकबा 44-02 बीघा, खसरा नम्बर 370 रकबा 06-11 बीघा कुल खसरा 6 रकबा 61 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजी है जो पूर्व में वादीगण संख्या एक व तीन एवं प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

संख्या 1 के सगे दादा तथा वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/6 के परदादा सुखदेव पुत्र गुणेश जाति ब्राह्मण निवासी तालकिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के दादा व परदादा सुखेदव पुत्र गुणेश जी के जीवनकाल में ही वादीगण संख्या एक व तीन एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के दादा भंवरलाल पुत्र सुखदेव का देहान्त हो गया। इसलिए कालान्तर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के दादा एवं परदादा सुखदेव पुत्र गुणेश का देहान्त होने पर उनके उत्तराधिकारी वारिसान वादीगण संख्या एक व तीन एवं वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में बतौर फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज किया गया, उस समय रेवेन्यु ऐजेन्सी की मानवीय भूल व गलती से वादीगण संख्या 1 व 3 तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की वल्दीयत भंवरलाल दर्ज नहीं करके वल्दीयत के रुप में इनके दादा सुखदेव का नाम बतौर पिता के वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया जो एक रोन्ग एन्ट्री है। जबकि वादीगण संख्या एक से तीन तथा वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/6 के पिता राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचाल कार्ड आदि में वल्दीयत के रूप में पिता का नाम भंवरलाल इन्द्राज है, जिसकी प्रतियां वादपत्र के साथ पेश है। जिन्हे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है, परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ने स्वयं की वल्दीयत सुखदेव के स्थान पर भंवरलाल पूर्व में दुरूस्त करवा ली परन्तु वादीगण को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वर्तमान में जब वादीगण को उक्त भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकत होने पर वादीगण ने दिनांक 27.06.2022 को पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब वादीगण का सर्वप्रथम राजस्व रेकर्ड में वादीगण संख्या 1 व 3 तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर सुखदेव इन्द्राज होने की उक्त रोंग एन्ट्री की जानकारी होने व राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा भी गलत इन्द्राज है, जबकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार हैं। वादीगण संख्या एक का 1/4 व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 तथा वादीगण संख्या 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 के स्थान पर 1/2 हिस्सा मानवीय त्रुटि एवं सद्भाविक भूल से इन्द्राज कर दिया जो कानून की निगाह में एक रोंग एन्ट्री होने से वादीगण संख्या 1 व 3 ने अपनी वल्दीयत व वादीगण संख्या 2/1 से लगायत 2/6 से अपने पिता मोहनलाल की वल्दीयत एवं हिस्सा दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 2 से उक्त रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करने का निवेदन किया तब प्रतिवादीगण संख्या 2 ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरूस्त करवाने का कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

जिसके सम्बन्ध में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त काश्त की आराजी के राजस्व रेकर्ड में उक्त रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीगण संख्या एक व तीन की वल्दीयत व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के तिपा की वल्दीयत व हिस्सा जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादीगण संख्या एक व तीन की सही एवं वास्तविक तथा दस्तावेजी वल्दीयत भंवरलाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने एवं इन्द्राज करवाने तथा वादीगण का हिस्सा 1/2 के स्थान पर प्रत्येक वादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होने से उक्त वादपत्र घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 2 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर है, इनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादपत्र पेश करनें का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 27.06.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकलें पटवार हल्का से प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने एवं न्यायालय आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हाटने का कथन पर बमुकाम तालकिया तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने बिन्दुवार जवाब दावा में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ग्राम तालकिया के खसरा नम्बर 11, 99, 358, 367, 368, 370 की कृषि भूमि आयी हुई है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे जरिये विरासत के नामान्तरण संख्या 429 दिनांक 15.10.1988 से इन्द्राज हुआ है तथा बिन्दु संख्या 3 व 4 वादीगण स्वयं साबित करे व बिन्दु संख्या 5 से 8 न्यायालय से [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1, [illegible]हर सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया का साक्ष्य शपथ पत्र PW-2, मोतीसिंह पुत्र हरकेनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया का साक्ष्य शपथ पत्र PW-3 पेश किया व दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गए, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पर सुनी गई।

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादीगण द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम तालकिया पटवार हल्का पिपलियाखुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 11 रकबा 5–06 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 01–02 बीघा, खसरा नम्बर 358 रकबा 03–04 बीघा, खसरा नम्बर 367 रकबा 00–15 बीघा, खसरा नम्बर 368 रकबा 44–02 बीघा, खसरा नम्बर 370 रकबा 06–11 बीघा कुल खसरा 6 रकबा 61 बीघा की कृषि भूमि की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी म्युटेशन से उक्त आराजी मे वादीगण संख्या 1, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता की वल्दीयत में त्रृटिवश इनके दादा व परदादा ***"सुखदेव पुत्र गुणेश"*** का इन्द्राज कर दिया गया जो कि गलत है तथा राजस्व रेकर्ड में वादीगण का हिस्सा भी गलत इन्द्राज है, क्योकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार है, वादीगण संख्या एक का 1/4 व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 तथा वादीगण संख्या 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 के स्थान पर 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा वादीगण के नाम मानवीय त्रुटि एवं सद्भाविक भूल से इन्द्राज कर दिया जो कानून की निगाह में एक रोंग एन्ट्री तथा गलत है। वादीगण संख्या 1, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता की वल्दीयत का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम **"भंवरलाल पुत्र सुखदेव" है** तथा वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के प्रत्येक का सही हिस्सा 1/4–1/4 एवं वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 हिस्सा है।

2. वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र PW 01 प्रस्तुत करते हुए साक्ष्य शपथ–पत्र पर कथन किया कि "जरिये फौतेदगी म्युटेशन के वादीगण संख्या 1 व 3 तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता की वल्दीयत भंवरलाल के स्थान पर सुखदेव तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में त्रुटि[illegible]वादी संख्या 1 के हिस्से मे 1/2 हिस्सा व शेष वादीगण के हिस्से में [illegible] हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है तथा रोंग एन्ट्री है क्योंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का सही हिस्सा 1/4 – 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

है एवं वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 हिस्सा है।'' जिन्हे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अन्य गवाह में मनोहर सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया का साक्ष्य शपथ पत्र PW-2, मोतीसिंह पुत्र हरकेनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालकिया का साक्ष्य शपथ पत्र PW-3 प्रस्तुत करते हुए वादीगण लक्ष्मीनारायण के कथनों का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया कि वादीगण संख्या 1 व 3 तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता की वल्दीयत भंवरलाल तथा वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1, 3 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का सही हिस्सा 1/4 - 1/4 है एवं वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 हिस्सा है। जिन्हें सही एवं दुरूस्त करवानें के वादीगण अधिकारी है।

3. वाद के समर्थन में दस्तावेज यथा जमाबंदी संवत् 2017-2020 (प्रदर्श-7), संवत् 2025-2028 (प्रदर्श-8), संवत् 2029-2032 (प्रदर्श-9), व संवत् 2042-2045 ( प्रदर्श-12) व संवत् 2050-2053 (प्रदर्श-13) के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुखदेव पुत्र गुणेश के फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 429 दिनांक 15.10.1988 से बद्रीनारायण, मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण, चतुर्भुज पि0 सुखदेव सा0 देह खातेदार इन्द्राज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2054-2077 (प्रदर्श-1,2,3,4,5,6) में वादीगण संख्या 1 व 3 के पिता तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता की वल्दीयत का सुखदेव पुत्र गुणेश व बद्रीनाराण पुत्र भंवरलाल का इन्द्राज है।

4. अन्य दस्तावेजात में वादीगण संख्या 1 ने स्वयं का आधार कार्ड (प्रदर्श-15ए), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र (प्रदर्श-16ए), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श-17ए), भामाशाह कार्ड (प्रदर्श-14ए) एवं ड्राईविंग लाईसेन्स ( प्रदर्श-18ए), पेश किये तथा उक्त सभी दस्तावेजों में वादी लक्ष्मीनारायण के पिता का नाम ''भंवरलाल'' दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में भंवरलाल पुत्र सुखदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता मोहनलाल का मृत्यु प्रमाणपत्र, तथा वादीगण संख्या 3 चतुर्भुज पुत्र भंवरलाल का आधार कार्ड पेश किये गए।

5. तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि मौका जाँच अनुसार व दस्तावेजों के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ग्राम तालकिया के खसरा नम्बर 11, 99, 358, 367, 368, 370 की कृषि भूमि आयी हुई है। वर्तमान का राजस्व रेकर्ड मे जरिये विरासत के नामान्तरण संख्या 429 दिनांक 15.10.1988 से इन्द्राज हुआ है।

6. प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीनारायण पुत्र भंवरलाल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादपत्र के डिक्री किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

जाहिर करते हुये कथन किया कि यदि वाद डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ–पत्र एवं गवाह स्वयं लक्ष्मीनाराण पुत्र भंवरलाल के साक्ष्य शपथ–पत्र एवं अन्य गवाहन् में मनोहरसिंह पुत्र नारायणसिंह व मोतीसिंह पुत्र हरकेनसिंह के साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा तालकिया, पटवार हल्का पिपलियाखुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 5–06 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 01–02 बीघा, खसरा नम्बर 358 रकबा 03–04 बीघा, खसरा नम्बर 367 रकबा 00–15 बीघा, खसरा नम्बर 368 रकबा 44–02 बीघा, खसरा नम्बर 370 रकबा 06–11 बीघा कुल खसरा 6 रकबा 61 बीघा के भू–अभिलेख में वादीगण संख्या 1 व 3 के पिता तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता की वल्दीयत के नाम की प्रविष्टि ''सुखदेव'' की जगह ''भंवरलाल'' दर्ज करना तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के हक हिस्से की गलत प्रविष्टि की जगह वादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 यानि प्रत्येक का 1/24 – 1/24 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा तालकिया, पटवार हल्का पिपलियाखूर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 5–06 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 01–02 बीघा, खसरा नम्बर 358 रकबा 03–04 बीघा, खसरा नम्बर 367 रकबा 00–15 बीघा, खसरा नम्बर 368 रकबा 44–02 बीघा, खसरा नम्बर 370 रकबा 06–11 बीघा कुल खसरा 6 रकबा 61 बीघा के भू–अभिलेख में वादीगण संख्या 1 व 3 के पिता व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता मोहनलाल की वल्दीयत ***''सुखदेव'' नाम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादीगण संख्या 1 व 3 के पिता व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता मोहनलाल की वल्दीयत के सही दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'भंवरलाल'*** तथा वादीगण संख्या 1, 3 व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की गलत प्रविष्टि 1/2 – 1/2 हिस्से को भी संशोधित करते हुये इसके स्थान सही हिस्सा **''वादीगण संख्या 1 का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/24 – 1/24 हिस्से'' की प्रविष्टि दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है एवं भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 19/02/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**
**(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
मुकाम :– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
2. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल फौत के कायम मुकाम
   2/1. द्वारकाप्रसाद पुत्र मोहनलाल
   2/2. निरंजन कुमार पुत्र मोहनलाल
   2/3. नन्दुदेवी पुत्री मोहनलाल
   2/4. तारादेवी पुत्री मोहनलाल
   2/5. उषादेवी पुत्री मोहनलाल
   2/6. जसोदा पुत्री मोहनलाल
3. चतुर्भुज पुत्र भंवरलाल

सभी जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– तालकीया, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.)।

बनाम

–: प्रतिवादी :–

1. बद्रीलाल पुत्र भंवरलाल जाति– ब्राह्मण, निवासी– तालकिया, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

**दावा बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

मु0न0 :रा0वा0स0– 139/2022
डिक्री दिनाँक :– 19.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ..........–........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, श्री बृजेश कुमार जांगिड़ अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैः– वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा तालकिया, पटवार हल्का पिपलियाखूर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण, तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 5–06 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 01–02 बीघा, खसरा नम्बर 358 रकबा 03–04 बीघा, खसरा नम्बर 367 रकबा 00–15 बीघा, खसरा नम्बर 368 रकबा 44–02 बीघा, खसरा नम्बर 370 रकबा 06–11 बीघा कुल खसरा 6 रकबा 61 बीघा के भू–अभिलेख में वादीगण संख्या 1 व 3 के पिता व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता मोहनलाल की वल्दीयत *"सुखदेव"* नाम अंकित है उसे विलोपित [illegible] हुये इसके स्थान पर वादीगण संख्या 1 व 3 के पिता व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता मोहनलाल की वल्दीयत के सही व दस्तावेजी नाम [illegible] अंकित *'भंवरलाल'* तथा वादीगण संख्या 1, 3 व वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 के पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की गलत प्रविष्टि 1/2 – 1/2 हिस्से को भी संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

करते हुये इसके स्थान सही हिस्सा **"वादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/24 – 1/24 हिस्से"** की प्रविष्टि दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है एवं भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19/02/2024 को जारी किया गया।

**मोहर**

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्दायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 03-00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02-00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 | स्टाम्प अर्जी | / |
| स्टाम्प वजह सबूत | / | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | 01-00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | – | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | – | मुत्फरिक | |
| मिजानः– | 05-00 | मिजानः– | 02-00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.06.28 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested